

आदेश-पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129)



ता. तक

आदेश पत्रक

जिला- पटना

सन्

केश का प्रकार दा० खा० वाद सं० 207 सन्/2013-14

आदेश की क्र०सं० एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित												
13-4-13	<p>①-श्री शशि कुमार तिवारी पिता-श्री बिनोदलाल तिवारी</p> <p>श्री ②-श्रीमती लीला तिवारी पति-श्री शशि कुमार तिवारी</p> <p>वल्द. ग्राम अराप पो० अराप</p> <p>थाना विक्रम जिला पटना केवाला नं० 3834 दिनांक 30/03/2012</p> <p>के आधार पर निम्नांकित जमीन का दाखिल-खारिज हेतु आवेदन पत्र दाखिल किया है।</p>													
	<table border="0"> <tr> <td>मौजा</td> <td>थाना नं०</td> <td>खाता नं०</td> <td>खेसरा</td> <td>एराजी</td> <td>लगान</td> </tr> <tr> <td>कोशकी</td> <td>34</td> <td>11</td> <td>433</td> <td>15 रु</td> <td>1.00</td> </tr> </table>	मौजा	थाना नं०	खाता नं०	खेसरा	एराजी	लगान	कोशकी	34	11	433	15 रु	1.00	
मौजा	थाना नं०	खाता नं०	खेसरा	एराजी	लगान									
कोशकी	34	11	433	15 रु	1.00									
	<p>मूल आवेदन पत्र हल्का कर्मचारी को अंचल निरीक्षक के माध्यम से जाँच प्रतिवेदन हेतु दें, आम महाल पर सूचना जारी कर आपत्ति की मांग करें। अभिलेख दिनांक 26-4-13 को रखें।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित।</p>													
	<p>अंचल अधिकारी दानापुर</p>	<p align="right"></p> <p>अंचल अधिकारी दानापुर</p>												
26-4-13	<p>नोटिस का तामिला प्राप्त है। कोई आपत्ति प्राप्त नहीं है। राजस्व कर्मचारी का प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त है। उनलोगों ने आवेदक के नाम दाखिल-खारिज करने की अनुशंसा किये हैं। फलतः उनके अनुशंसा के आधार पर दाखिल-खारिज की दी जाती है। शुद्धि-पत्र निर्गत करें।</p>													
	<p>अंचल अधिकारी दानापुर</p>	<p align="right"></p> <p>अंचल अधिकारी दानापुर</p>												

Cen-1048
415713